न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 32/2015 प्रार्थना पत्र

अनवान

1. श्री धुलसिंह पिता कले सिंह राजपूत निवासी अटवाल तहसील झाडोल जिला उदयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती केशीबाई पत्नि स्व. रूपसिंह राजपूत निवासी अटवाल तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
2. श्री मगनसिंह पिता स्व. रूपसिंह राजपूत निवासी अटवाल तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
3. श्री चतरसिंह पिता स्व. रूपसिंह राजपूत निवासी अटवाल तहसील झाडोल जिला उदयपुर।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 जा.दी.

निर्णय दिनांक–28.01.2021

आदेश

1. प्रार्थी एवं विपक्षीगण ग्राम अटवाल, पटवार सर्कल बिरोठी, तहसील झाडोल जिला उदयपुर में प्रार्थीगण के आधिपत्य एवं स्वामित्व की खातेदारी जमीन साबिक आराजी संख्या 461/2 जिसके हाल आराजी संख्या 86 रकबा 0.08 बिस्वा, आराजी सं. 97 रकबा 0.18 बिस्वा एवं आराजी संख्या 98 रकबा 0.04 बिस्व होकर कुल किता 3 कुल रकबा 0.30 हैक्टर है तथा साथ ही उक्त साबिक आराजी संख्या 489/3 मीन जिसके हाल आराजी संख्या 890 रकबा 0.13, आराजी संख्या 862 रकबा 0.44 हैक्टर घाटीवाला उक्त कुलिया भूमि मौके पर अलग से नही है। उक्त भूमि के चारो तरफ प्रार्थी की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग कृषि कार्य किये जाने, घास काटने व पशु चराने हेतु प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिवार द्वारा पिछले 50 वर्षो से लगातार बिना किसी दखल के शांतिपूर्वक उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग प्रार्थी द्वारा किया जाता रहा है।

2. प्रार्थी एक अशिक्षित किसान है तथा उक्त भूमि प्रार्थी के क्षैत्र में होकर प्रार्थी का एक मात्र आधिपत्य पिछले 50 वर्षो से लगातार बिना किसी दखल के स्वतंत्रतापूर्वक चला आ रहा है। विपक्षीगण के पूर्व हिताधिकारी यानि रूपसिंह राजपूत स्वंय का अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही था, न रूपसिंह राजपूत अपने जीवन में उक्त भूमि पर कभी भी नही आये, न कृषि की क्योकि उक्त भूमि पर पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से प्रार्थी की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा एक मात्र आधिपत्य प्रार्थी का है। हाल पैमाईश में भी विपक्षीगण के पूर्व हिताधिकारी श्री रूपसिंह राजपूत के नाम मेरे खातेदारी में तो अंकित कर दी किन्तु रूपसिंह राजपूत की मौके पर पूछा गया कि उनका मौके पर कब्जा है तो इस पर रूपसिंह राजपूत व गांव की जनमा ने बताया कि रूपसिंह का कब्जा नही है। इस स्वीकारोक्ति को बवक्त पैमाईश जो पानडी लिखी गई है निम्न नोट अंकित किया गया "मौके पर कब्जा नही होने का अंकन किया।" उक्त अंकन सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा रूपसिंह के समक्ष किया गया जिसकी स्वकारोक्ति रूपसिंह ने की। यानि

सहायक कलक्टर